

**STATE LOAD DESPATCH CENTRE**

**132 kV Sub-station, H/Q Bldg., Majra, Dehradun, Uttarakhand**

**Inviting Comments on the Petition filed by SLDC for approval of the Annual Performance Review for FY 2017-18 and Revised Aggregate Revenue Requirement for FY 2018-19**

**Salient Points of the ARR/Tariff Petition**

State Load Despatch Centre, which has been made operational for grid control and despatch of electricity and other related works w.e.f. November 27, 2012 in the State of Uttarakhand, has filed a petition before the Commission for approval of the Annual Performance Review for FY 2017-18 and Revised Aggregate Revenue Requirement for FY 2018-19. The summary of SLDC for the aforesaid is given in the following Table:

**Summary of APR and ARR of SLDC (₹ Crore)**

S. No.	Particulars	FY 2017-18 (APR)		FY 2018-19 (ARR)	
		As Approved	Revised Estimates	As Approved	Revised Estimates
1	Depreciation	2.30	2.37	2.94	4.17
2	Interest on Long Term Loans	2.01	2.15	3.10	4.04
3	Return on Equity	0.59	0.62	2.05	2.12
4	O&M Expenses	9.58	9.19	11.25	15.26
5	Interest on Working Capital	0.67	0.64	0.83	1.10
6	<b>Gross Expenditure</b>	<b>15.15</b>	<b>14.96</b>	<b>20.17</b>	<b>26.68</b>
7	Less: Non-Tariff Income	0.00	0.00	0.65	0.00
8	<b>Net Expenditure</b>	<b>15.15</b>	<b>14.96</b>	<b>19.51</b>	<b>26.68</b>

- SLDC has proposed a total hike of 76.11% for FY 2018-19 over the approved SLDC charges for FY 2017-18. In case, the entire claim of SLDC is accepted by the Commission, additional hike of 0.12% in consumer tariff shall be required over and above the hike proposed by UPCL. The recovery of the charges from the beneficiaries has been proposed through suitable fees and charges.
- Detailed proposals can be seen free of cost on any working day at the Commission's office or at the office of Managing Director, Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited, Vidyut Bhawan, Saharanpur Road, Majra, Near ISBT, Dehradun-248001, Uttarakhand. Relevant extracts can also be obtained from the above mentioned office of the Petitioner.
- The proposals are also available at the website of the Commission ([www.uerc.gov.in](http://www.uerc.gov.in)) and at SLDC's website ([www.ukslhc.org](http://www.ukslhc.org)).

5. Objections/suggestions are invited from the consumers and other stakeholders on the above proposals. These may be sent to the Secretary, Uttarakhand Electricity Regulatory Commission, either in person, or by post at Vidyut Niyamak Bhawan, Near I.S.B.T., P.O. Majra, Dehradun-248171 or through e-mail to [secy.uerc@gov.in](mailto:secy.uerc@gov.in) as a statement of objections or comments with copies of the documents and evidence in support thereof so as to reach the Secretary by 31.01.2018.





# पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कारपोरेट आईडी नं० U40101UR2004GOI028676

विद्युत भवन, नजदीक-आईएसबीटी क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2642006 फैक्स नं० 0135-2643460

## सार्वजनिक सूचना

**वित्तीय वर्ष 2017-18 का वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये प्रस्तावित समुच्चय राजस्व आवश्यकता (ए०आर०आर०) की स्वीकृति हेतु एस०एल०डी०सी० की याचिका पर विचार आमंत्रित किये जाते हैं**

वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए०आर०आर०)/टैरिफ याचिका के मुख्य बिन्दु -

1. प्रान्तीय भार निस्तारण केन्द्र (एस०एल०डी०सी०) देहरादून, जो कि दिनांक 27.11.2012 से उत्तराखण्ड राज्य में प्रान्तीय भार निस्तारण और ग्रिड नियंत्रण एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन कर रही हैं, ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये प्रस्तावित समुच्चय वार्षिक आवश्यकता की स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की है। उपरोक्त वित्तीय वर्ष हेतु एस०एल०डी०सी० द्वारा प्रस्तावित मांगों का सारांश निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

क्रम सं.	मद	वित्तीय वर्ष 2017-18 वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (ए०पी०आर०)		वित्तीय वर्ष 2018-19 वार्षिक समुच्चय राजस्व आवश्यकता (ए०आर०आर०)	
		वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये MYT आदेश में अनुमोदित	पुनरीक्षित आंकलन	वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये MYT आदेश में अनुमोदित	पुनरीक्षित आंकलन
1	अवक्षयण	2.30	2.37	2.94	4.17
2	दीर्घकालीन ब्याज प्रभार	2.01	2.15	3.10	4.04
3	इक्विटी पर प्रत्यागम	0.59	0.62	2.05	2.12
4	संचालन एवं अनुरक्षण व्यय	9.58	9.19	11.25	15.26
5	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	0.67	0.64	0.83	1.10
6	सकल व्यय	15.15	14.96	20.17	26.68
7	घटाया : नॉन टैरिफ आय	0.00	0.00	0.65	0.00
8	शुद्ध व्यय	15.15	14.96	19.51	26.68

2. प्रान्तीय भार निस्तारण केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुमोदित व्यय के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल प्रस्तावित वृद्धि 76.11% की गयी है। यदि एस०एल०डी०सी० का सम्पूर्ण दावा आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उपभोक्ता टैरिफ में उपाकालि द्वारा प्रस्तावित वृद्धि से उपर 0.12% की अतिरिक्त वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रस्तावित शुल्क की वसूली लाभार्थियों से उपयुक्त शुल्क एवं प्रभार के रूप में होना प्रस्तावित है।
3. पूर्ण याचिका किसी भी कार्य दिवस में आयोग के कार्यालय अथवा कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, विद्युत भवन, सहारनपुर रोड़, माजरा, आईएसबीटी क्रॉसिंग, देहरादून-248001 पर निषुल्क देखी जा सकती है। याचिका से सम्बन्धित प्रपत्र याचिकाकर्ता के उपर्युक्त वर्णित कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
4. उक्त याचिका के समस्त प्रस्ताव आयोग की वेबसाइट ([www.uerc.gov.in](http://www.uerc.gov.in)) एवं याचिकाकर्ता की वेबसाइट ([www.ukslidc.org](http://www.ukslidc.org)) पर भी उपलब्ध है।
5. उक्त प्रस्तावों पर उपभोक्ताओं एवं अन्य हित धारकों की प्रतिक्रिया/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। इन प्रतिक्रियाओं/सुझावों को व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन आईएसबीटी क्रॉसिंग, देहरादून-248171 में अथवा ई-मेल द्वारा ([secy.uerc@gov.in](mailto:secy.uerc@gov.in)) प्रतिक्रियाओं/टिप्पणियों की विवरण सम्बन्धित दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र सहित दिनांक 31.01.2018 तक भेजे जा सकते हैं।

प्रबन्ध निदेशक